संख्या- 767 /18-4-2025-11 (बजट)/10

प्रेषक,

प्रवीण कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निर्यात आयुक्त,
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ०प्र०,
लखनऊ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 08 अक्टूबर, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26- के आय-व्ययक में अनुदान सं0-003 के अंतर्गत "निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना" योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन व्यूरो, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-320/4-लेखा/बजट/2025-26, दिनांक 30 सितम्बर,2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना" योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-003 के अंतर्गत विभिन्न मदवार कुल प्राविधानित धनराशि रू० 52.00 लाख मात्र के सापेक्ष शासनादेश संख्या-327/18-4-2025-11(बजट)/10, दिनांक 08-05-2025 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में विभिन्न मदवार कुल धनराशि रू० 26.00 लाख मात्र की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसे उक्त प्राविधानित धनराशि रू0 52.00 लाख में से घटाने के फलस्वरूप उक्त योजना मद में विभिन्न मदवार कुल अवशेष धनराशि रू0 26.00 लाख (रु० छब्बीस लाख) मात्र की वित्तीय स्वीकृति द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप् में निम्नलिखित मदवार/लघु शीर्षक के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के शेष छः माहों के व्यय वहन हेतु अग्रांकित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन निर्गत करते हुए धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि **पूर्व में उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक** 08-5-2025 **के माध्यम से प्रथम किश्त के रूप में विभिन्न मदवार स्वीकृत कुल धनराशि रू**0 26.00 **लाख तथा इस शासनादेश द्वारा वर्तमान में द्वितीय/अन्तिम किश्त के के रूप में विभिन्न मदवार निम्नवत् स्वीकृत की जा रही कुल धनराशि रू**0 26.00 **लाख से संबंधित सदुपयोगिता प्रमाण पत्र /व्यय विवरण धनराशि व्ययोपरान्त एक माह में शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा**:-

धनराशि (रूपये लाख रू0 में)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लघु शीर्षक	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश दिनांक 08/5/2025 द्वारा स्वीकृत धनराशि	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष इस शासनादेश द्वारा द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
02-	मजदूरी	12.00	6.00	6.00
04-	यात्रा व्यय	0.50	0.25	0.25
07-	मानदेय	0.50	0.25	0.25
08-	कार्यालय व्यय	2.50	1.25	1.25
09-	विद्युत देय	12.00	6.00	6.00
11-	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	3.00	1.50	1.50
12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00	1.00	1.00
13-	टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.25	0.25
15-	गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5.00	2.50	2.50
29-	अनुरक्षण	1.00	0.50	0.50
46-	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.50	0.75	0.75
47-	कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.50	0.75	0.75
58	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.00	5.00	5.00
	योग	**52.00**	**26.00**	**26.00**

1-उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मद में ही किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।

2-उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन व्यूरो, उ०प्र०, लखनऊ को उनकी मांग पर उपलब्ध करायी जायेगी।

3-उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ है।

4- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को पी०एल०ए०/डिपार्टमेंट खाता में जमा नहीं किया जायेगा।

5-उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय का नियंत्रण, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6-व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्यतिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य मानको (स्टेण्डर्डस ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7-स्वीकृत धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बंधी वित्त विभाग एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

8- उक्त स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ०प्र० शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

9- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)- 1 एवं 2 उ०प्र० प्रयागराज लखनऊ / तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ०प्र० शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

10-उक्त कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-003 के अधीन लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-800-अन्य व्यय-07-निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना" (लेखाशीर्षक 15 डिजिट में 2851-00-800-00-07-00) के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-767 (1)/18-4-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज/लखनऊ ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम /द्वित्तीय, उ०प्र०, प्रयागराज/लखनऊ ।
3- कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ ।
4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर ।
6- अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ०प्र०, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उयम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर/लखनऊ ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2/3
9- संयुक्त सचिव, (श्री पुष्पेन्द्र सिंह) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन को ऑनलाइन बंजट एलाटमेण्ट सिस्टम में प्रविष्टि हेतु ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्रवीण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।